मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 (फाल्गुन 19, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. बधाई

श्री ईश्वरदास रोहाणी, अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण द्वारा राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर बधाई दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के "ऋण माफी / ऋण राहत योजना 2008 में अनियमितता" संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 9 (* क्र.826) पर, शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा प्रश्नोत्तरी में कई प्रश्नों के उत्तर में "जानकारी एकत्रित की जा रही है" अंकित होने के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री को पूर्व निर्देशों के अनुपालन में, शासन के समस्त विभागों को प्रश्नों के उत्तर समय पर देने हेतु सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया।

4. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल के चूनाभट्टी चौराहे से कोलार नगरपालिका तक की सड़क की हालत जर्जर होने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर के ग्राम वीरपुर एवं श्यामपुर में बंदरों के उत्पात से क्षेत्रवासियों के परेशान रहने,
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ में महाविद्यालय निर्माण हेतु जमीन न दी जाने,
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के शास.आवासों की झुग्गीवासियों द्वारा पाईप लाईन तोड़ने,
(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की इंदौर-पीथमपुर में गुणवत्ताहीन दवाइयों का निर्माण करने,
(6) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य की बागली क्षेत्र के चापड़ा से पुंजापुरा विद्युत लाईन का कार्य बंद होने,
(7) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में सिंचाई कार्य उपभोक्ता संस्थाओं से न कराये जाने,
(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर में पान बरेजा के खेती व्यवसाइयों को बांस न दिये जाने,
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर के दिलीप नामक व्यक्ति को ए.टी.एस. टीम द्वारा ले जाने तथा
(10) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की अशोक नगर जिला पंचायत वार्ड-5 में सामान्य वर्ग की महिला द्वारा पिछड़े वर्ग से निर्वाचन प्रपत्र भरकर चुनाव जीतने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में तीन सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर तीनों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(श्री रामलखन सिंह के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए तथा बहिर्गमन किया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(1) डॉ. कल्पना परूलेकर, सर्वश्री बालाराम बच्चन, आरिफ अकील, पांचीलाल मेड़ा तथा विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा, सदस्यगण ने धार जिले के धरमपुरी विधायक के साथ टोल टेक्स कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ में नवोदय प्रवेश परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील तथा लक्ष्मण तिवारी, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के लहार थाने में पदस्थ नगर निरीक्षक द्वारा अवैध वसूली किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि समिति द्वारा सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 12 एवं 19 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010

अशासकीय संकल्प	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-42,46)	सर्वश्री बृजमोहन धूत, मोहन शर्मा	1 घन्टा
2. (क्रमांक-8)	श्री श्रीकांत दुबे	20 मिनिट
3. (क्रमांक-14, 45)	सर्वश्री मोतीलाल तिवारी, लक्ष्मण तिवारी	20 मिनिट
4. (क्रमांक-19)	श्री रत्नेश सॉलोमन	25 मिनिट
5. (क्रमांक-35)	श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार	25 मिनिट

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010

1. (क्रमांक-40)	श्री रामनिवास रावत	45 मिनिट
2. (क्रमांक-24)	डॉ. कल्पना परूलेकर	45 मिनिट
3. (क्रमांक-22, 31)	सर्वश्री आरिफ अकील, शिवनारायण मीणा	30 मिनिट
4. (क्रमांक-2)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	30 मिनिट

श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा अशासकीय संकल्प के संबंध में गर्भगृह में आकर बोलने पर अध्यक्ष महोदय ने उनके आचरण के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। कुछ समय पश्चात् श्री आरिफ अकील अपने आसन पर वापस गए)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

7. वर्ष 2009-2010 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 67, 75, 77, 78 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः हजार एक सौ इक्कीस करोड़, छियासी लाख, साठ हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री शंकरलाल तिवारी

(3) डॉ. कल्पना परूलेकर

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री जयंत मलैया,आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए दो सौ इक्यावन करोड़, पचहत्तर लाख, पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए आठ सौ छियासठ करोड़, पैंतीस लाख, इक्यावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए बीस करोड़, उन्नीस लाख, छियासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए सात सौ उनसठ करोड़, बानवे लाख, अट्ठानवे हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए तीन सौ सत्तावन करोड़, सत्ताईस लाख, सोलह हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 21	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
मांग संख्या - 23	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
मांग संख्या - 40	1, 2, 3, 4, 5, 6
मांग संख्या - 45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
मांग संख्या - 57	1, 2, 3, 4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री शंकरलाल तिवारी

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटेरिया) पीठासीन हुई।

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह

(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(5) श्री बृजराज सिंह

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री धूल सिंह डाबर
(8) श्री सुरेश चौधरी
(9) श्री परसराम मुद्गल
(10) श्री शांतिलाल धबाई
(11) श्री श्रीकांत दुबे
(12) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(13) श्री पारस दादा
(14) श्री प्रियव्रत सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(15) श्री राधेलाल बघेल
(16) श्री सुदामा सिंह
(17) श्री नारायण प्रजापति
(18) श्रीमती नीता पटेरिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(19) श्री रामलाल मालवीय
(20) श्री अभय कुमार मिश्रा
(21) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(22) श्री मदन कुशवाह
(23) श्री माखनलाल राठौर
(24) श्री देवेन्द्र वर्मा
(25) श्री रामकिशोर कावरे
(26) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(27) श्री शैलेन्द्र जैन
(28) सुदर्शन गुप्ता
(29) श्री विश्वामित्र पाठक
(30) श्री राधेश्याम पाटीदार

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह सौ बहत्तर करोड़, अठारह लाख, सत्रह हजार,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए तीन सौ छत्तीस करोड़, अठहत्तर लाख, उनहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 34	समाज कल्याण के लिए एक सौ चौदह करोड़, अठारह लाख, सात हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए चौदह सौ दस करोड़, चार लाख, आठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक सौ सात करोड़, पैंसठ लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए नवासी करोड़, बानवे लाख, सैंतीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार पांच सौ चंवालीस करोड़, आठ लाख, तैंतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 15	3, 4
मांग संख्या - 30	2, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23
मांग संख्या - 34	4, 11, 13, 15
मांग संख्या - 52	2
मांग संख्या - 59	2
मांग संख्या - 62	5, 7, 8, 14, 20
मांग संख्या - 74	3

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री सुदामा सिंह
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(5) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(6) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो
(7) श्री देवेन्द्र वर्मा
(8) श्री मदन कुशवाह
(9) श्री सुनील जायसवाल
(10) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(11) श्री प्रियव्रत सिंह
(17) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(18) श्री राजकुमार उरमलिया
(19) श्री नारायण प्रजापति
(20) श्री राधेश्याम पाटीदार
(21) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(22) श्री जेवियर मेड़ा
(23) श्री रामनिवास रावत

श्री गोपाल भार्गव, अनुसूचित जाति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 8.02 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 (फाल्गुन 20, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 मार्च, 2010